मिश्री बाई बनाम रामनारायण

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2018/429 एवं 2018/430

23.12.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2018 को सुनवाई हेतु जैरकार थी । परन्तु प्रार्थी की माता श्रीमती मिश्री बाई का दिनांक 09.12.2017 को देहान्त हो गया । इस कारण माह दिसम्बर जनवरी में पेशी पर नहीं आ सका इसके पश्चात् माह फरवरी, 2018 में प्रार्थी महावीर मजदूरी करने एवं खाने–कमाने जयपुर चला गया था । इस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की । हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.05.2018 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 12.07.2018 को प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने का प्रस्तुत कर दिया । विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी ने भी प्रार्थी के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करना उचित बताया । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं । अपील पुनः नम्बर पर ली जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिटर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा